

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2021—पौष 3, शक 1943

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 1 नवम्बर 2021

अंतिम प्रकाशन

प्रारूप—एक ( ब )

क्रमांक-6303-पंचा. परि.-2021.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व, जिला बालाघाट के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणामस्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

#### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बालाघाट	बिरसा	बोरखेडा	बोरखेडा	बोरखेडा	931	41
			सूजी	सूजी	542	41
			छिन्दीटोला	छिन्दीटोला	471	41

योग . . . 1944

## प्ररूप—दो ( ब )

बालाघाट, दिनांक 10 नवम्बर 2021

क्रमांक-6439-पंचा. परि.-2021.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:—

## सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोरखेडा	1	01 गुल्डा से 25/1 अश्वनी तक	अ0जा0	—
2		2	28 भयती से 41/2 मोतिन तक	अ0ज0जा0	14
3		3	43 वीरसिंह से 54 माधुरी पुसाम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	—
4		4	55 झाड़ू से 67/घ रामसिंह सिरसाम तक	महिला अ0जा0	—
5		5	68 लामू से 83/क दयावती तक	महिला अ0ज0जा0	07
6		6	85 गुल्डासिंह से 102/1 प्रेमवती तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	—
7		7	103 लक्ष्मी से 119 तिहार मरकाम, 401/1 ईश्वर धुर्वे तक	महिला सामान्य	01
8	छिन्दीढोला	8	01 दिसन से 19/1 बारसाल तक		
9		9	20 पतीराम धुर्वे से 38 मनोज मेरावी तक		
10		10	39 पारवती मेरावी से 52 आसना परतें तक		
11		11	53 स्वनीबाई तिलगाम से 66 सविता मेरावी, 161/क, 524 गीता तक		
12	सूजी	12	01 सोहन तकाम से 18/2 यशोदाबाई आमो तक		
13		13	19 रूखी से 33क सुरताना कुशर तक		
14		14	34 सन्हारो से 48/1 नेमनसिंह तक		
15		15	50 लोकसिंह से 64 संदीप रावतकर तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

## प्ररूप—तीन ( ब )

बालाघाट, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्रमांक-6482-पंचा. परि.-2021.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्र.-296, दिनांक 13 जुलाई 2021 में ग्राम बोरखेड़ा, छिन्दीटोला एवं सूजी को नगरपालिका मलांजखण्ड जिला बालाघाट की सीमाओं से अपवर्जित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन सूचना क्र.-6303-पंचा. परि.-2021 दिनांक 01 नवम्बर 2021 को (ग्राम बोरखेड़ा, छिन्दीटोला एवं ग्राम सूजी को सम्मिलित कर) नवीन ग्राम पंचायत बोरखेड़ा जनपद पंचायत बिरसा का गठन किये जाने के उपरांत, उक्त ग्राम पंचायत बोरखेड़ा को जनपद क्षेत्र क्र. 11 में सम्मिलित करते हुये, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं अर्थात्:—

## सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बिरसा	01	(1)गुदमा (2)जानपुर (3)भण्डारपुर (4)लगमा (5)सारसडोल	अ0 जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0 जा0	निरंक 10 03 निरंक
2	बिरसा	02	(1)समनापुर (2)भीमलाट (3)निक्कुम (4)बलगांव (5)बाकीगुडा	महिला अ0ज0जा0 महिला अन्यपिछड़ा वर्ग	05 02 02
3	बिरसा	03	(1)टिंगीपुर (2)पल्हेरा (3)कटंगी	महिला सामान्य	
4	बिरसा	04	(1)बाहकल (2)सायल (3)मण्डई		
5	बिरसा	05	(1)हराभाट (2)देवगांव (म.) (3)जैरासी (4)प. गड़ापानी		
6	बिरसा	06	(1)छूपला (2)जगला (3)गोवारी		
7	बिरसा	07	(1)डोंगरिया (2)बीजाटोला (3)बिठली (4)थुरैमेटा		

8	बिरसा	08	(1)रमगढी (2)सालेवाडा (3)मानेगांव (4)पीपरटोला		
9	बिरसा	09	(1)अंजगरा (2)रेलवाही		
10	बिरसा	10	(1)सुरवाही (2)चिचगांव (3)करौदाबहेरा (4)सलघट (5)कैण्डाटोला		
11	बिरसा	11	(1)भूतना (2)गिड़ोरी (3)सुन्दरवाही (4)बोरखेड़ा		
12	बिरसा	12	(1)दमोह (2)देवगांव (द) (3)माटे		
13	बिरसा	13	(1)सिंघनुपरी (2)जमुनिया (3)झामुल (4)डोरली		
14	बिरसा	14	(1)खुर्सीपार (2)कनिया (3)पण्डरिया (4)बोरी		
15	बिरसा	15	(1)अचानकपुर (2)कचनारी (3)बहेराभाटा		
16	बिरसा	16	(1)सालेटेल्ही (2)रघोली (3)मछुरदा (4)लालपुर		
17	बिरसा	17	(1)अडोरी (2)दुल्हापुर (3)घुम्पुर (4)सोनगुडडा (5)चारघाट		
18	बिरसा	18	(1)डाबरी (2)धुनधुनवार्धा (3)दडकसा (4)चौरिया (5)पितकोना		

**कार्यालय, संभाग आयुक्त, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश**  
**प्ररूप—चार ( ब )**

**सूचना**

जबलपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2021

क्रमांक-776-पंचा. प्रको.-2021.—इस कार्यालय की सूचना क्रमांक 4499-पंचा. प्रको.-2019 बालाघाट, दिनांक 06/2019 द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24 (बिरसा) का प्रकाशन किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र क्र.-296, दिनांक 13 जुलाई 2021 में ग्राम बोरखेड़ा, छिन्दीटोला एवं सूजी को नगरपालिका मलांजखण्ड, जिला बालाघाट की सीमाओं से अपवर्जित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन सूचना क्र.-6303-पंचा. परि.-2021, दिनांक 01 नवम्बर 2021 को (ग्राम बोरखेड़ा, छिन्दीटोला एवं ग्राम सूजी को सम्मिलित कर) नवीन ग्राम पंचायत बोरखेड़ा, जनपद पंचायत बिरसा का गठन किये जाने के उपरांत, उक्त ग्राम पंचायत, बोरखेड़ा को जिला पंचायत, बालाघाट के क्षेत्र क्रं. 24 में सम्मिलित करते हुये, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संभागीय आयुक्त, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ-दो में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ-तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-पांच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ:—

**सारणी**

अनु.क्रमांक	जिला पंचायत	निर्वाचन क्षेत्रों के	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बालाघाट	24-बिरसा	1 गुदमा	अ0जा0	02
			2 लगमा	अ0ज0जा0	06
			3 समनापुर	अन्य पिछडा वर्ग	06
			4 भीमलाट	महिला अ0जा0	01
			5 जानपुर	महिला अ0ज0जा0,	04
				महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
			6 सारंसडोल		
			7 निक्कुम	महिला सामान्य	06
			8 भंडारपुर		
			9 बाकीगुडा		
			10 टिंगीपुर		
			11 पल्हेरा		
			12 कटंगी		
			13 जैरासी		
			14 पण्डरापानी		

अनु.क्रमांक	जिला पंचायत	निर्वाचन क्षेत्रों के	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
			15 बाहकल		
			16 सायल		
			17 हरभाट		
			18 देवगांव		
			19 छपला		
			20 मंडई "		
			21 जगला		
			22 सुरवाही		
			23 गोवारी		
			24 डोंगरिया		
			25 थुरेमेटा		
			26 चिघगांव		
			27 करीदाबहरा		
			28 बीजाटोला		
			29 रमगढ़ी		
			30 सालेवाड़ा		
			31 मानेगांव		
			32 पिपरटोला		
			33 कैण्डाटोला		
			34 बोरखेड़ा		
			35 संलघट		
			36 भूतना		
			37 बलगांव		

आयुक्त, संभाग जबलपुर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

## प्ररूप-पॉच

त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन की जानकारी  
ग्राम पंचायतों, उनके वार्डों, जनपद जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और आरक्षण स्थिति दर्शाने वाला पत्रक  
(माह नवम्बर 2021 की स्थिति में) जिला- बालाघाट

क.	पंचायत की कुल संख्या	निर्वाचन क्षेत्र / वार्डों के आरक्षण की स्थिति					
		अजा.	अजजा.	अपिव	अनारक्षित	अजा.	अजजा.
1	2	3	4	5	6	7	8
1(क)	कुल ग्रा.पं.	723		808	2902	2413	5470
(ख)	प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या	938	केवल महिलाओं के लिए आरक्षित	570	1518	1410	2330
2(क)	कुल जनपद पंचायत	10		44	409	143	342
(ख)	जनपद पंचायतों के प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	0	केवल महिलाओं के लिए आरक्षित	1	2	1	1
3	जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	27	केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या	0	0	0	0
3.क	जिला पंचायतों के प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	0	केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या	2	6	6	13
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या	1	4	3	6
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या	0	0	0	0
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या	0	0	0	0

टीप- 1. कुल 723 ग्राम पंचायतों में से 722 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होना है। 01 ग्राम पंचायत कैण्डाटोला, जनपद पंचायत बिरसा का आम निर्वाचन 2017 में सम्पन्न किया गया है। जिसका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूर्ण होगा।

2. क्रं. 1 ख में दर्शित वार्डों की कुल संख्या 11607 में ग्राम पंचायत कैण्डाटोला का कुल 12 वार्ड शामिल नहीं है।

प्ररूप-छह  
त्रिस्तरीय पंचायतों की जानकारी  
ग्राम पंचायतों, उनके वार्डों, जनपद / जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और आरक्षण स्थिति दर्शाने वाला पत्रक  
(माह नवम्बर 2021 की स्थिति में) जिला- बालाघाट

क्रमांक	पंचायत की कुल संख्या		पंचायतों के आरक्षण की स्थिति				
	संख्या		अजा.	अजजा.	अपिव	अनारक्षित	
1 (क)	कुल ग्राम पंचायत	723	45	259	134	285	
			25	132	68	138	
(ख)	ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या	11607	808	2915	2413	5471	
2 (क)	जनपद पंचायत	10	1	4	2	3	
			1	2	1	1	
(ख)	जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	220	14	52	46	108	
			9	28	25	50	
3	जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	27	2	6	6	13	
			1	4	3	6	

टीप- 1. कुल 723 ग्राम पंचायतों में से 722 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होना है। 01 ग्राम पंचायत कैण्डाटोला, जनपद पंचायत बिरसा का आम निर्वाचन 2017 में सम्पन्न किया गया है। जिसका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूर्ण होगा।

2. क्रं. 1 ख में दर्शित वार्डों की कुल संख्या 11607 में ग्राम पंचायत कैण्डाटोला का कुल 12 वार्ड शामिल नहीं है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.